इक्कीसवीं सदी में केन्द्र–राज्य वित्तीय सम्बन्धः बिहार झारखंड और ओड़िसा राज्यों के विशेष संदर्भ में

रमेश कुमार ठाकुर
शोधछात्र, राजनीति विज्ञान विभाग
मगध विश्वविद्यालय बोधगया, गया, बिहार
Email : rkthakurramgarh@gmail.com

सारांश

यह शोध आलेख इक्कीसवीं सदी में केन्द्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के बदलते स्वरूप का सुक्ष्म अध्ययन करता है। आलेख यह जानने का प्रयास करता है कि इस दौर में बिहार झारखंड एवं ओड़िसा जैसे राज्यों के साथ केन्द्र का वित्तीय संबंध किस प्रकार का है। पिछले उन्नीस वर्षों में अक्सर ये राज्य केन्द्र पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते रहे हैं। विशेषकर केन्द्र में सत्तारूढ़ दल द्वारा विपक्ष शासित इन राज्यों के लिए योजनाएँ, फंड, अनुदान व अन्य मुद्दों पर लेटलतीफी व लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। राज्यों के मध्य भी संसाधनों के बटवारे व आपूर्ति के संबंध में झगड़े अम बात है। योजना आयोग को समाप्त कर बने नीति आयोग एवं वस्तु एवं सेवा कर जैसे नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू किये जाने के बाद आने वाले समय में देश की राजनीति, प्रशासन व केन्द्र–राज्य वित्तीय संबंधों में एक नया अध्याय लिखें जायेंगे।

मुख्य शब्द : *वित्तीय संबंध, संघीय ढांचा, नीति आयोग, वित्त आयोग, वस्तु एवं सेवा कर।*

प्रस्तावना

भारत राज्यों का संघ है और संघ तथा राज्यों के मध्य के संबंध को भारतीय संविधान में तीन व्यापक श्रेणियों–विधाथी, प्रशासनिक और वित्तीय– में वर्गीकृत किया गया है। संविधान के भाग– बारह, अध्याय– एक, अनुच्छेद 264 से 300 तक वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है। नीति आयोग के गठन एवं स्वतंत्रता के पश्चात देश के सबसे बड़े कर सुधार, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।

केन्द्र–राज्य वित्तीय संबंध

कोई भी संघीय शासन प्रणाली तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि संघ और राज्य दोनों के पास ऐसे पर्याप्त वित्तीय संसाधन न हो जिनसे वे संविधान के अधीन अपने–अपने उतरदायित्व का निर्वहन कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे संविधान ने केन्द्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय साधनों का विभाजन किया है। संविधान में यह विभाजन भारतीय शासन

अधिनियम 1935 में किये गये विभाजन पर आधारित है। इसमें केन्द्र एवं राज्य दोनों ही को राजस्व जुटाने की शक्तियां और व्यय संबंधी उतरदायित्व सौंपे गए हैं। राजस्व का बंटवारा संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित तीनों सूचियों पर आधारित है। केन्द्र सराकर को संघ सूची में वर्णित सभी विषयों पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त है और राज्यों को राज्य सूची के अंकित विषयों पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है' समवर्ती सूची में कोई भी कर शामिल नहीं है। राज्य सरकारें अपने द्वारा लगाये गये करों को स्वयं एकत्रित करती हैं और स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस धन को खर्च करती है। परंतु संघ सरकार द्वारा लगाये गए सभी कर संघीय सरकार न तो स्वयं एकत्रित करती है और न तो सभी करों के धन को स्वयं व्यय करती है। संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति हीं कर लगा सकता है अथवा एकत्रित कर सकता है।

केन्द्र और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा

अनुच्छेद 266 में केन्द्र तथा प्रत्येक राज्य के संचित निधि की स्थापना की गई है। इस संचित निधि में भारत एवं राज्य सरकारों को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा प्राप्त राज्य हुंडिया या हुंडिया निर्गमित करके अग्रिम द्वारा लिए गए सभी उधार तथा उधारों से प्राप्त उस सरकार को सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनती है, जिसे भारत की संचित निधि तथा राज्य की संचित निधि के रूप में जाना जाता है। इस निधि में आकस्मिक निधि तथा राज्यों को दिये जाने वाले करों तथा शुल्कों को शामिल नहीं किया जाता है। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी और से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियां भारत के लोक लेखे में या राज्य के लोक लेखे में जमा की जाती है।

आकस्मिकता निधि

संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है। यह निधि कार्यपालिका के व्ययनाधीन है। यह निधि भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 द्वारा गठित की गई है।

सहायता अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दिया जाने वाला अनुदान

संविधान में केन्द्र द्वारा राज्यों को चार तरह के सहायता अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 273 के अनुसार पटसन (जूट) व उससे बनी वस्तुओं के निर्यात से जो षूल्क प्राप्त होता है उसमें से कुछ भाग अनुदान के रूप में पटसन (जूट) पैदा करने वाले राज्यों–बिहार, ओड़िसा, पश्चिम बंगाल एवं असोम को दे दिया जाता है। **द्वित्तीय–** बाढ़ भूकंप व सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीडितों की सहायता के लिए भी केन्द्रीय सरकार राज्यों को अनुदान देती है। **तृतीय–** जनजातियों व कबीलों की उन्नति व उनके कल्याण योजनाओं के लिए भी सहायता अनुदान दिया जाता है। **चतुर्थ–** राज्यों को आर्थिक कठिनाइयों से उबारने के लिए केन्द्र राज्यों को वित्तीय सहायता कर सकता है। (अनुच्छेद 275)

संघ और राज्य की उधार लेने की शक्ति

संविधान का अनुच्छेद 292 केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह

अपनी संचित निधि की साख पर देशवासियों व विदेशी सरकारों से ऋण ले सके। ऋण लेने का अधिकार राज्यों को भी है, परन्तु वे विदेशों से ऋण नहीं लेकर केन्द्र सरकार से ऋण लेती है। (अनुच्छेद 293)

करों की विमुक्ति

संविधान के अनुच्छेद 295 (1) में कहा गया है कि राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर कोई कर तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान न कर दे। अनुच्छेद 287 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार या रेलवे द्वारा प्रयोग में आने वाली बिजली पर संसद की अनुमति के अभाव में राज्य किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगा सकतें। अनुच्छेद 289 (1) कहता है कि केन्द्र सरकार भी राज्य की संपत्ति और आय पर कर नहीं लगा सकती।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रण

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केन्द्र तथा राज्य सरकारों के हिसाब का ऑडिट (लेखा) करता है। केन्द्र सरकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यों के वित्तीय शक्तियों पर अपना नियंत्रण रखता है।

वित्तीय आपातकाल में संघ द्वारा वित्तीय नियंत्रण

संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तब राज्यों की आय सीमा राज्य सूची में चर्चित करों तक सीमित रहती है। वित्तीय संकटकाल के समय राष्ट्रपति को संविधान के उन सभी प्रावधानों को स्थगित करने का अधिकार है जो सहायता अनुदान अथवा संघ के करों की आय में भाग बांटने से सम्बन्धित हो। केन्द्रीय सरकार वित्तीय मामलों में राज्यों को निर्देश भी दे सकती है।

कर राजस्व का निर्धारण एवं वितरण के सिद्धांत

कर लगाने हेतु कानून निर्माण को विधाय शक्ति केन्द्र एवं राज्यों के मध्य सातवीं अनुसूची में अंकित संघ एवं राज्य को विधाय सूचियों में विभाजित की गई है। उदाहरण के लिए कृषि के संबंध में सम्पदाशुल्क लगाने की शक्ति राज्य विधान–मंडल को है जबकि गैर–कृषि भूमि के संबंध में यह शक्ति संसद को प्राप्त है। उसी प्रकार कृषि आयपर कर उदग्रहण करने हेतु राज्य विधानमंडल सक्षम है, जबकि संसद को कृषि से भिन्न समस्त आय–कर अधिरोपित करने की शक्ति प्राप्त है।

कराधान के सम्बन्ध में (साधारण विधान के सम्बन्ध में भी) अवशिष्ट शक्ति संसद को प्राप्त है। उपहार–कर एवं व्यय–कर भी अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत ही आते हैं। कर सम्बन्धी विधान के विषय में कोई समवर्ती सूची नहीं है। संघ तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण इस प्रकार हैं।

संघ के प्रमुख राजस्व सोत्र

निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, विदेश ऋण, रेलवें, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार इत्यादि।

राज्यों के प्रमुख राजस्व सोत

प्रति व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, सम्पदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकाओं पर कर, बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर, वाहनों पर चुंगी कर आदि।

भारतीय संविधान में केन्द्र से राज्यों को संसाधनों के हस्तांतरण के माध्यम से असंतुलनों को दूर करने के लिए निम्नलिखित सक्षम और अनिवार्य प्रावधान किये गए हैं।

- संघ द्वारा उद्‌गृहीत किये जाने वाले किन्तु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किये जाने वाले कतिपय शुल्क (यथा स्टांप शुल्क, औषधीय और प्रसाधन पर उत्पाद शुल्क) (अनुच्छेद 268)
- संध द्वारा आरोपित तथा संघ व राज्यों द्वारा संगृहीत व विनियोजित सेवा कर (अनुच्छेद 268 A)
- संघ द्वारा लगाये गए कर जो संगृहीत कर राज्य को दिये जाते हैं (यथा सम्पत्ति के उतराधिकार पर कर। (अनुच्छेद 269)
- संघ द्वारा लगाये एवं संग्रहित किये जाने तथा केन्द्र और राज्यों के मध्य वितरित किये जाने वाले कर (यथा सीमाशुल्क, आयकर पर अधिभार अनुच्छेद 270)।

केन्द्र–राज्य तनाव क्षेत्र

1967 के बाद भारत में केन्द्र तथा राज्यों के बीच अनेक वित्तीय तथा योजना संबंधी विषयों को लेकर विवाद उभरे हैं। 2000 ई0 के बाद यह विवाद बिहार, झारखंड तथा ओड़िसा राज्यों के संबंध में विशेषकर देखने को मिले हैं जो निम्नलिखित है।

इक्कीसवीं सदी में वित आयोग एवं योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग) वित्तीय साधनों के वितरण की प्रचलित व्यवस्था से बिहार, झारखंड एवं ओड़िसा जैसे राज्य संतुष्ट नहीं है। प्रचलित व्यवस्था में करों से प्राप्त होने वाली आय का प्रधान भाग केन्द्रीय कोष में जाता है एवं इन राज्यों के आय के स्रोत अत्यंत अल्प रखे गये हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्यों की योजनाओं की सफलता बहुत कुछ केन्द्रीय अनुदान पर निर्भर करती है। इस अनुदान को लेकर इन राज्यों को बराबर यह शिकायत रही है कि केन्द्रीय सरकार (चाहे UPA की हो चाहे NDA की) इन अनुदानों का वितरण करते समय पक्षपतपूर्णि रवैया अपनाती रही है।

पिछले बीस वर्षों में ये तीनों राज्य धीरे–धीरे किन्तु अधिकाधिक रूप में वित्तीय साधनों के लिए केन्द्रीय सरकार पर निर्भर होते चले गए। इन वर्षो में इन तीनों राज्यों की ऋण अदायगी तथा ब्याज की रकम मिलकर नयी केन्द्रीय सहायता से अधिक हो जाती हैं। यह स्थिति परिपक्व एवं संतुलित केन्द्र–राज्य सम्बन्धों की दृष्टि से उचित नहीं हैं।

आलोचना का विषय यह भी है कि केन्द्र से हस्तांतरित होने वाली राशि का केवल एक–तिहाई भाग ही वित आयोग की सिफारिशों पर होता है, जबकि दो–तिहाई भाग वित आयोग के क्षेत्र से बाहर हैं।

योजना आयोग (अब नीति आयोग) की भूमिका को लेकर भी केन्द्र तथा बिहार, झारखंड एवं ओडिसा जैसे राज्यों के बीच विवादों में वृद्धि हुई हैं। इन राज्यों की सामान्यतः यह शिकायत

रही है कि इन आयोगों ने उनकी शक्तियों को आधात पहुँचाया हैं।

संवैधानिक रूप से अन्तर्राज्यीय व्यापार के नियामन की शक्ति केन्द्रीय सरकार में विहीत हैं। केन्द्र की सरकार राष्ट्रीय और राज्य हितों या राज्य विशेष के हितों में समन्बध स्थापित करने के लिए कभी–कभी हस्तक्षेप करती है। इस केन्द्रीय हस्तक्षेप से ये राज्य नाराज होते हैं और केन्द्र–राज्य मतभेद उभरते हैं।

वित्त आयोग एवं केन्द्र–राज्य संबंध

वित आयोग सरकारों के राजस्व संग्रहण की शक्ति और कार्यात्मक दायीत्वों के बीच विसंगति के कारण उत्पन्न संघ और राज्य सरकारों के राजस्व और व्यय में असंतुलन का समाधान करने के लिए एक विशीष्ट व्यवस्था हैं। आयोग को केन्द्र और राज्यों के बीच समुचित कर विभाजन के माध्यम से और जरूरतमंद राज्यों को सहायता अनुदानों के माध्यम से ऐसा करने का अधिदेश दिया गया हैं।

भारतीय संसद ने वित्त आयोग अधिनियम 1951 को अधिनियमित किया और 22 नवंबर 1951 को श्री के.सी.नियोगी की अध्यक्षता में पहले वित आयोग का गठन किया गया। अभी तक पंद्रह वित्त आयोगों का गठन हो चुका हैं। वर्ष 2020 – 2025 की अवधी हेतु रूपरेखा की सिफारिश करने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन श्री एन0के0सिंह की अध्यक्षता में नवंबर 2017 में किया गया था। वर्तमान में चौदहवें वित्त आयेाग (2015–2020) की सिफारिशों क्रियान्वयनाधीन हैं।

चौदहवां वित्त आयोग

वर्ष 2015–20 की अवधी हेतू सिफारिशें करने के लिए जनवरी 2013 में चौदहवें वित्त आयोग का गठन किया गया था। डॉ0 वाई0वी0 रेडडी इस आयोग के अध्यक्ष थे। इस आयोग ने राज्यों के लिए विभाज्य पुल के कर न्यागमन अंश को बढाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। आयोग ने राज्यों को दिये जाने वाले करों के अंश के रूप में बिहार के लिए 9.665 प्रतिशत झारखंड के लिए 3.139 प्रतिशत तथा ओडिसा जैसे राज्यों के लिए 4.642 प्रतिशत करों का अंश देने की सिफारिश की है। आयोग ने योजना और गैर योजना के बीच बिना कोई अंतर किए राज्यों की कुल राजस्व व्यय संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करना आवश्यक कर दिया है। आयोग के विशलेषण से यह पता चला है कि वर्ष 2002–2005 और 2005–2011 के बीच संघ सरकार का राज्यों के विषयों पर राजस्व व्यय 14 प्रतिशत से बढकर 20 प्रतिशत हो गया और समवर्ती विषयों पर 13 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत हो गया।

14 वें वित्त आयोग 2015–20 द्वारा किए गए आकलन के अनुसार राज्य–वार कुल अंतरण (अदायगी+अनुदान) (करोड रू0 में)

क्र0 सं	राज्य का नाम	अदायगी	स्थानीय निकाय	राजस्व घाटा	आपदा राहत	कुल	प्रतिशत
1	बिहार	3,82,529	23,694	0	2332	4,08,555	9.108
2	ओड़िसा	1,84,070	10,623	0	3,718	1,98,411	4.423
3	झारखंड	1,24,408	7,961	0	1,809	1,34,178	2.991

क्र0 सं राज्य का नाम अदायगी स्थानीय निकाय
राजस्व घाटा आपदा राहत कुल प्रतिशत

नीति आयोग तथा वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्र–राज्य संबंध

नीति आयोग एवं वस्तु एवं सेवा कर दो ऐसे कदम हैं जो आने वाले समय में केन्द्र–राज्यों के संबंधों पर एक नया अध्याय लिखने वाले हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने योजना आयोग की राज्यों पर चाबुक चलाने की पद्धति को समाप्त कर उसे एक सलाहकारी व विशेषज्ञ संस्था के रूप में जनवरी 2015 में नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रॉन्सफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना किया। इसे केन्द्र तथा राज्य दोनों नीति निर्माण में समान रूप से भाग लेगे तथा सरकार की भूमिका जनता के सरयोगी के रूप में होगा।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) आजादी के बाद टैक्स सुधार का सबसे क्रांतिकारी कदम है जो केन्द्र एवं राज्यों के बीच एक नई सहकारी भागीदारी का आधार बन सकता हैं। मगर इसे सफलतापूर्वक लागू किया गया तो न केवल राज्यों द्वारा लगाई गई विविधतापूर्ण अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को पूरी तरह से खंडित कर आधुनिक एवं सरल बनायेगा बल्कि केन्द्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय सहयोग के एक नये युग का संकेत भी हो सकता हैं। प्रधानमंत्री टीम इंडिया की बात करते हैं। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री एक टीम है जो कंधे से कंधा मिलाकर चलें तो नई ऊँचाइयों को प्राप्त किया जा सकता हैं। लेकिन इसके बाबजूद इन तीनों राज्यों (बिहार, झारखंड, ओड़िसा) में केन्द्र से भिन्न राजनीतिक दल की सरकार होने के कारण सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। चाहे बिहार को विशेष राज्य को दर्जा, देने की मांग हो या झारखंड एवं ओड़िसा जैसे आदिवासी बहुल राज्यों के खनिज संसाधनों में रॉयल्टी में हिस्सेदारी को लेकर विवाद हो।

अध्ययन का उद्देश्य

- संघ एवं राज्यों के आर्थिक संबंधों की पुनर्व्याख्या करना।
- केन्द्र एवं राज्यों के बीच राजस्व वितरण की समीक्षा करना।
- जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स से संबंधित फैसले में राज्य की स्वायत्ता का आकलन करना।
- वित्त आयेाग की सिफारिशों की समीक्षा करना।
- नीति आयोग के गठन के बाद राज्यों कि आर्थिक विकास का मुल्यांकन करना।

परिकल्पना

- इक्कीसवीं सदी में भी वित्तीय मामले को लेकर केन्द्र–राज्यों संबंधो में तनाव बने हुए हैं।
- इक्कीसवीं सदी में बिहार, झारखंड एवं ओड़िसा जैसे राज्यों में कर वसुली की गति अत्यंत मंद रही है।
- जीएसटी के लागू होने के बाद टैक्स से संबंधित निर्णय करने में इन राज्यों की स्वायत्ता नहीं रह गयी है।
- वित्त आयोगों की सिफारिशों से इन राज्यों को ही जाने वाली केन्द्रीय करों में वषद्धि हुई

है।

- नीति आयोग एवं जीएसटी लागू होने के बाद केन्द्र–राज्य वित्तीय संबंध सहकारी संघवाद की ओर बढ़ रही है।

साहित्य सर्वेक्षण

किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधारशिला के समान है, जिस पर भावी शोध कार्य आधारित होता है। साहित्यक पुनरावलोकन कर लेने से शोध कार्य आधारित होता है। साहित्यक पुनरावलोकन कर लेने से शोध कार्य में काफी सरलता आ जाती है। प्रस्तुत शोध अध्ययन कि पृष्ठभूमि तथा परिप्रेक्ष्य से संबंधित साहित्य में डॉ0 पुखराज जैन–भारतीय शासन एवं राजनीति पृ0सं0– 161–167 नॉर्मन डी0 पालमर–द इंडियन कॉस्ट्टियूटन सिस्टम 1960 पृ0 सं0–101, प्रो0 एम0वी0 पायली कॉस्ट्टियूटन इन इंडिय एाशिया पब्लिसिंग हॉउस 1977 पृ0सं0 678, द हिन्दु 27 फरवरी 2005 इत्यादि पुस्तकों एवं आलेखों का अध्ययन किया गया है जो वर्तमान शोध आलेख पर व्यापक रूप से प्रकाश डालते हैं। यह शोध आलेख मौलिक है और इसका अन्यत्र कहीं प्रकाशन नहीं हुआ हैं।

शोध प्रविधि

इस शोध आलेख में केन्द्र–राज्य संबंधों का विशलेषणात्मक अध्ययन तथ्यों के आलोक में किया गया है। श्रोत सामाग्री की सत्यता को परखने के लिए निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस शोध आलेख हेतू आवश्यक सामाग्री विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालयों, इंटरनेट एवं शोध संस्थानों आदि में उपलब्ध साधनों के अलावा प्राचीन ग्रंथों से एकत्र किया गया है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों पत्र–पत्रिकाओं एवं अन्य द्वितीय स्रोतो को संग्रहित कर विशलेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

निष्कर्ष

केन्द्र–राज्य वित्तीय संबंधों के उपर्युक्त अध्ययन से यह नितांत स्पष्ट है कि सम्बन्धों की समस्त व्यवस्था में केन्द्रीय सरकार को राज्यों पर नियंत्रण की स्थिति प्रदान की गई है लेकिन फिर भी राज्य केन्द्रीय सरकार की इकाईयाँ मात्र नहीं हैं। राज्य सरकारों की सहायता के बिना केन्द्रीय सरकार अपनी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सकती। केन्द्र– राज्य मजबूत वित्तीयें संबंधों के लिए यह आवश्यक है कि इन संबंधो का संचालन दलीय दृष्टिकोण आधार पर नहीं, वरन् राष्ट्रीय दृष्टिकोण के आधार पर किया जाना चाहिए। भारत को आगे बढ़ाना है तो इन राज्यों को आगे बढ़ाना होगा। केन्द्र सरकार का यह दायित्य बनता है कि इन राज्यों को प्रोसाहित करें। जहां जरूरत पड़े वहां पूरी शक्ति से उनके साथ जुड़े रहें और तब जाकर हम विकास की नई ऊँचाई को प्राप्त कर सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ

1 डॉ0 पुखराज जैन, *भारतीय शासन एवं राजनीति* पृ0 सं0 – **161–167**।
2 नार्मन डी0 पमर–*द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम* 1960 पृ0 सं0– **101**।

3 प्रो0 एम0 वी0 पायली– *कॉस्ट्टियूटन इन इंडिया,* 1977 पृ0 सं0– **678**।
4 कल्पना राजाराम एवं राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, *भारत का संविधान एवं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था* 2010 पृ0 सं0– **235–239**।
5 *भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार,* कक्षा ग्यारहवीं का NCERT के पुस्तक।
6 द हिन्दु 27 फरवरी 2005।
7 पी0वी0 गजेन्द्र गडकर इन हिज थर्ड जे0 नेहरू मेमोरियल लेक्चर – *फिलॉसफी ऑफ नेशनल इंटिग्रेशन* – इटस बोर्ड इम्प्रेटिभस (कोटेड फार्म इंडियन एक एक्सप्रेस NOV 28 1972)
8 आचार्थ डॉ0 दुर्गा दास बसु – *भारत का संविधान* – एक परिचय 2011 पृ0 सं0 **355–343**।
9 डॉ0 डी0डी0 बसु कॉम्पेरेटीव *फेडरलिज्म* (प्रेटिस–हॉल आफ इंडिया 1987)।
10 इंडिया 1990 पृ0 सं0 **349।**
11 *चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट,* पृष्ठ – **95**
12 *शोध और सूचना प्रभाग लोक सभा सचिवालय के आर्थिक और वितीय मामलों के संध की रिर्पोट,* केन्द्र–राज्य वित्तीय संबंध सहकारी संघवाद की ओर, अगस्त 2018 पृष्ठ **1,2,3,4 एवं 7**।
13 अनुज कुमार अग्रवाल संपादक डॉयलॉग इंडिया, *संघ व राज्यों के आर्थिक संबंधों की पुनर्व्याख्या,* योजना फरवरी 2015।
14 राव, एम0 गोविंदा, वित्त आयोग नहीं बल्कि संध सरकार राज्यों के अंतरण का निर्णय लेती हैं, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस 31 जनवरी 2017।
15 चक्रवती, पिनाकी, माल और सेवा करः राजकोषीय स्वतंत्रता बनाम कर असंगति (610g/2016/12/02)।